मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

आज़ाद नगर की महिलाएं, शौचालय की नहीं, सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं 2
लुप्त होती कुम्हारी कला को उजाड़ने का विधायक ने दिया आदेश 4
आज भगतसिंह का मतलब फासीवाद को शिकस्त देना है 5
मुख्यमंत्री होते हुए प्रताप सिंह कैरों बिना निमंत्रण शादी में पहुंच गए थे देवीलाल के घर 6
शहर की सफाई के लिए जरूरी वाहनों की सर्विस भी नहीं करा रहा निगम प्रशासन 8

वर्ष 37 | अंक 19 | फरीदाबाद | 19-25 मार्च 2023 | फोन-8851091460 | 5.00 ₹

पुलिस भर्ती में खट्टर सरकार की हेराफेरी पर अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट से लगाम लगवाई

चंडीगढ़ (मज़दूर मोर्चा) भाजपाई खट्टर सरकार ने पुलिस भर्ती को अपने वोट बैंक में परिवर्तित करने की नीयत से करीब साढ़े छः हजार सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया चलाई। राज्य के 75 हजार पुलिस बल में हर माह सैंकड़ों पुलिसकर्मी सेवा निवृत होते रहते हैं। साल भर में निवृत होने वाले तथा नये पद सृजित होने का आकलन करके हर साल नियमित रूप से भर्ती की जानी चाहिये। इस तरह की जाने वाली भर्ती से ट्रेनिंग कार्यक्रम भी ठीक ढंग से चलता रह सकता है।

इन सब बातों को दरकिनार करते हुए खट्टर सरकार चुनाव के निकट ही थोक के भाव भर्तियां निकालती है ताकि भर्ती

होने वालों के साथ राजनीतिक सौदेबाज़ी की जा सके। वही सब इस भर्ती प्रक्रिया में चल रहा था। नियमानुसार शारीरिक एवं बौद्धिक परीक्षा में सफल रहने वाले अभ्यार्थियों की एक मेरिट लिस्ट बनाई गई थी। लेकिन इस लिस्ट में खट्टर के संघी चहेते आशा अनुरूप स्थान न पा सके तो खट्टर जी ने 'नॉर्मलाइजेशन' का चोर दरवाजा खोल दिया। इसके अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के भी अंक रखे जाते हैं। इन अंकों के आधार पर जब संघी चहेते मेरिट लिस्ट में घुसाए जायेंगे तो पहले से ही मेरिट में आये अभ्यार्थी आउट हो जायेंगे।

इसी मुद्दे को लेकर अनेक अभ्यार्थी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पहुंच गये। उनकी याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करना तो मान लिया लेकिन सरकार ने नियुक्ति पत्र देना जारी रखा तो अभ्यार्थी पुनः कोर्ट पहुंचे। इस बार कोर्ट ने नियुक्ति पत्र देने पर पूरी रोक लगा दी। इस प्रकार अब यह भर्ती प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिये अटक गई है। भाजपाई सरकारों के शासनकाल में कभी पर्चे लीक होने तो कभी हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाना एक आम बात है। इसके चलते सरकार का वह पैसा बच जाता है जो उसे वेतन के रूप में नवागन्तुकों को देना पड़ता। लोग बेरोजगार रहें तो रहें, सरकारी मशीनरी ठप्प रहे तो रहे, खट्टर को क्या फर्क पड़ता है!

एसीएस के आदेश और बेहतर सुविधा के बावजूद पोस्टमार्टम कार्य ईएसआई मेडिकल कॉलेज को नहीं मिल रहा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) संदिग्ध मृत्यु मामलों में शवों का पोस्टमार्टम, पुलिस द्वारा कराया जाना अनिवार्य है। ज़िले भर में होने वाले इस तरह के करीब 1600 पोस्टमार्टम प्रति वर्ष बीके अस्पताल में किये जाते हैं। इस काम के लिये आने वाले शवों को रखने के लिये यहां कुल 12 डीप-फ्रीजर लगाये गये हैं। इनमें से आठ बीते कई सालों से खराब पड़े हैं। जाहिर है ऐसे में शवों का सड़ना स्वाभाविक है। इसके अलावा यहां डॉक्टरों व अन्य स्टाफ की भी भारी कमी रहती है। इसके अलावा शवों की फॉरेंसिक जांच के लिये उन्हें रोहतक मेडिकल कॉलेज भी भेजा जाता था जो अब दो फॉरेंसिक डॉक्टरों की तैनाती के बाद से बंद हो गया है।

पोस्टमार्टम के इस भारी-भरकम काम के लिये, स्टाफ़ की कमी के चलते, परिजनों के साथ-साथ पुलिस को भी काफ़ी लम्बा इंतजार करना पड़ता है। काम को जल्दी निपटवाने के लिये सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा घूसखोरी के चर्चे भी अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। दूसरी ओर बगल में ही बने ईएसआई मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिये पोस्टमार्टम करना उनके पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा है। इसके लिये छात्रों को करीब दो किलो मीटर का चक्कर काट कर बीके अस्पताल

बीके अस्पताल का जर्जर पोस्टमार्टम कक्ष

ईएसआईसी का वातानुकूलित पोस्टमार्टम कक्ष

में आना पड़ता है। ऐसे में छात्रों को केवल खानापूर्ति के लिये यदा-कदा ही लाया जाता है।

प्रशासनिक बुद्धिमत्ता, यदि किसी में होती तो स्वतः ही पोस्टमार्टम के इस काम का कुछ भाग मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया होता। परन्तु यहां तो मामला पूरी तरह से बुद्धिमता के खिलाफ़ चल रहा है। मेडिकल कॉलेज वालों ने प्रशासन को प्रार्थना पत्र भेज कर इस काम में हाथ बंटाने की गुहार लगाई। वर्षों तक कागज इधर से उधर भटकते रहे तब कहीं जाकर एसीएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव) मेडिकल शिक्षा, डॉ. जी अनुपमा ने इस बाबत स्वीकृति प्रदान करते हुए सिविल सर्जन फ़रीदाबाद को पत्र लिखा।

सिविल सर्जन ने एसीएस के पत्र का हवाला देते हुए स्थानीय पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा को पत्र लिखा क्योंकि पोस्टमार्टम तो पुलिस के द्वारा ही कराये जाते हैं। पुलिस आयुक्त से अपेक्षा थी कि वे इस काम के लिये कुछ थानों को मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध कर देते। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा सिविल सर्जन के पत्रों को लेकर मेडिकल कॉलेज के एक वरिष्ठ प्रोफेसर सीपी के पास पहुंचे तो उन्होंने पत्रों का कोई लिखित उत्तर देने की बजाय जबानी तौर पर कहा कि मेडिकल कॉलेजों में पोस्टमार्टम थोड़े ही होते हैं वहां तो छात्र पढ़ाई करते हैं। यह भी कहा कि इसके लिये उन्हें गृह सचिव का आदेश चाहिये। अब भला कौन समझाये कि पोस्टमार्टम भी मेडिकल छात्रों की पढ़ाई का ही हिस्सा है। यदि हर इस तरह के फैसले गृह सचिव को ही लेने हैं तो यहां इतने बड़े अधिकारी को बिठाने की क्या जरूरत है?

इस बाबत मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन को फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एके पांडे से पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी खबर की जनकारी से इनकार कर दिया।